रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 19, 1993/पौष 29, 1914
No. 47] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 1993/PAUSA 29, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1993

का०आ० 55 (अ) :—ट्रैक्टर उपकर नियम, 1992 का प्रारूप, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 8(अ) तारीख 6 जनवरी, 1992 के साथ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 6 जनवरी, 1992 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको वह राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना अन्तर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दिया जाता है, साठ दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र जनता को 21 जनवरी, 1992 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 9 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ट्रैक्टर उपकर नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) अभिप्रेत है;

(ख) "ट्रैक्टर" से अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्षक 10 के उपशीर्ष (1) के अधीन "कृषि मशीनरी" में आने वाला ऐसा ट्रैक्टर अभिप्रेत है जो 25 से अधिक अश्व शक्ति की शक्ति से चालित हो,

(ग) "उपकर" से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 662 (अ) तारीख 6 सितम्बर, 1985 के निबंधनों के अनुसार उद्गृहीत और संग्रहीत उपकर अभिप्रेत है;

(घ) "कलक्टर" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अपर कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उप कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक भी हैं ।

(ङ) "विकास परिषद" से अधिनियम की धारा 6 के अधीन आटोमोबाइल और सहबद्ध उद्योगों के लिए स्थापित विकास परिषद हैं;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयोग किए गए और जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम या नियमों में हैं ।

3. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का लागू होना:—

इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध जिसमें शुल्क के प्रतिदाय से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे अधिनियम और नियमों के अधीन ट्रैक्टरों के विनिर्माण पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

4. विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना : —(1) प्रत्येक विनिर्माता पूर्व मास के दौरान अपने उपक्रम में विनिर्मित या उत्पादित और वहां से हटाए गए ट्रैक्टरों की मदों के समस्त स्टाक की विवरणी इन नियमों के उपाबंध में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रत्येक मास की 10 तारीख को या उससे पहले कलक्टर और विकास परिषद् को प्रस्तुत करेगा ।

(2) यदि कोई विनिर्माता उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है जिसे कलक्टर या विकास परिषद् के पास अशुद्ध या त्रुटिपूर्ण विश्वास करने का कारण है, तो कलक्टर, विनिर्माता को उसके द्वारा विनिर्मित या उत्पादित ट्रैक्टरों से संबंधित सभी या किन्हीं लेखाओं को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी कर सकेगा ।

5. उपकर के आगम : —उपकर का आगम पहले शीर्ष "038 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वाणिज्य ट्रैक्टर पर उपकर" के अधीन भारत की संचित निधि में जमा करा दिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विधि द्वारा संसद द्वारा यथा विनियोग किए जाने के पश्चात् ऐसे आगम से संग्रहण लागत की कटौती करने के पश्चात् ऐसी राशि जो वह आवश्यक समझे विकास परिषद् को सौंप देगी ।

6. खाता खोलना.—विकास परिषद द्वारा नियम 5 के अधीन प्राप्त की गई रकम भारतीय स्टेट बैंक के खाते में रखी जाएगी ।

7. विकास परिषद के लेखे :— (1) विकास परिषद् नियम 5 के अधीन प्राप्त की गई रकम के संबंध में समुचित लेखे रखेगी ।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखा विवरण लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

8. विकास परिषद का बजट प्राक्कलन —

(1) विकास परिषद् प्रत्येक वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगी और केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए ऐसी तारीख को या उससे पहले जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करेगी ।

(2) कोई व्यय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट को मंजूरी नहीं मिल जाती ।

(3) बजट केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार तैयार किया जाएगा ।

9. विहित प्रशासनिक व्यय :—

विकास परिषद नियम 5 के अधीन अपने द्वारा प्राप्त रकम से ऐसी राशि का जो 2 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, कार्यालय स्थापन और उपस्कर, लेखन सामग्री, डाक महसूल, टेलीग्राम, टेलीफोन टेलेक्स, सचिवालय में नियोजित कर्मचारिवृन्द की मजदूरी और भत्ते, सदस्यों के यात्रा और दैनिक भत्ते और परिषद् का अधिवेशन करने से संबंधित व्ययों के लिए उपयोग कर सकेगी ।

उपाबंध

ट्रैक्टर उपकर नियम 1985 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी

का प्ररूप

(नियम 4 देखें)

.....को समाप्त होने वाला मास .....

.....कारखाना का नाम .....

पता .....

उपकर के अध्यधीन माल का आरंभिक अतिशेष		उपकर के अध्यधीन विनिर्मित माल		उपकर के अध्यधीन हटाए गए माल	
वर्णन	मात्रा	वर्णन	मात्रा	वर्णन	मात्रा
1	2	3	4	5	6

अंत अतिशेष	वर्णन	मात्रा	टिप्पण
	7	8	9

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त दर्शायी गई विशिष्टियों को मेरे/हमारे कारखाने के अभिलेखों और बही से मिलान कर लिया है और जहां तक मैं/हम अभिनिश्चय करता हूं/करते है वे यथार्थ और पूर्ण है।

[फा. सं. 5 (18)/90—ए ई एल (III)]

विनिर्माता के हस्ताक्षर

वी. एन. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 1993

S.O. 55(E).—Whereas the draft of the Tractor Cess Rules, 1992 was published in the Gazette of India Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 6th January, 1992 with the Notification of the Government of India in the Ministry of Industry No. S.O. 8(E) dated the 6th January, 1992 as required by Sub-section (i) of the Section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within sixty days from the date on which the Gazette containing the said notification was made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 21st January, 1992;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 30 read with section 9 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Tractor Cess Rules, 1992;

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951);

(b) "Tractor" means tractor as covered under the Sub-heading (1) of heading 10 'Agricultural Machinery' of the First Schedule to the Act and of power take-off House Power exceeding 25;

(c) "cess" means the cess levied and collected in terms of notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Heavy Industry) No. S.O. 662(E) dated the 6th September, 1985 issued under sub-section (1) of section 9 of the Act;

(d) "Collector" means the collector of Central Excise and includes the Additional Collector of Central Excise, the Deputy Collector of Central Excise, Assistant Collector of Central Excise and Superintendent of Central Excise;

(e) "Development Council" means the Development Council for Automobiles and Allied Industries established under section 6 of the Act;

(f) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) or the rules made thereunder, shall have the meaning respectively assigned to them in that Act or the rules.

3. Application of Central Excise and Salt Act, 1944 and the rules made thereunder.—Save as otherwise provided in these rules, the provisions of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the rules made thereunder including those relating to refund of duty shall, so far as may be apply in relation to the levy and collection of the cess as they apply in relation to the levy and collection of the duty of excise on manufacture of tractors under the Act and the rules.

4. (1) Submission of returns.—(1) Every manufacturer shall submit to the Collector and to the Development Council on or before the 10th of very month a return in the Form specified in the annexure to these rules of all stocks of items of tractors manufactured or produced in, and removed from his undertaking during the previous month.

(2) If any manufacturer fails to furnish the return within the date specified in sub-rule (1) or furnishes a return which the Collector or the Development Council as reason to believe is incorrect or defective, the Collector may serve notice on the manufacturer calling upon him to produce all or any of his accounts relating to the tractors manufactured or produced by him.

5. Proceeds of the cess.—The proceeds of the cess shall first be credited to the Consolidated Fund of India under the head "038-Union Excise duties—Cess on commodities tractors" and the Central Government may after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, hand over to the Development Council such sums as it may consider necessary from out of such proceeds after deducting therefrom the cost of collection.

6. Opening of Accounts.—The amount received by the Development Council under rule 5 shall be kept in an account with the State Bank of India.

7. Accounts of the Development Council.—(1) The Development Council shall maintain proper accounts relating to the amount received by it under rule 5.

(2) The audited statement of accounts for every financial year, together with the auditor's report thereon, shall be submitted to the Central Government.

8. Budget estimates of the Development Council.—(1) The Development Council shall in each year prepare a budget for the ensuing financial year and sub-

mit the same for sanction to the Central Government on or before such date as may be specified by the Central Government.

(2) No expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government.

(3) The budget shall be prepared in accordance with such instructions as may be issued from time to time by the Central Government.

9. Prescribed administrative expenses.—The Development Council may utilise a sum not exceeding 2 per cent of the amount received by it under rule 5, to meet its expenses on account of office establishment and equipment, stationery, postage, telegrams, telephones telex, wages and allowances of staff employed in the Secretariat, travel and daily allowance of members and expenditure connected with holding of council meetings.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART-II SEC. 3(ii)]

ANNEXURE

From of Monthly Return to be submitted under the Tractor Cess Rules, 1985. (See rule 4)

Month ending.....

Name of Factory.....

Address.....

Opening balance of goods subject to cess		Goods subject to cess manufactured		Goods subject to cess removed	
Description	Quantity	Description	Quantity	Description	Quantity
1	2	3	4	5	6

Description	Closing Balance Quantity	Remarks
7	8	9

I/We declare that I/we have compared the above shown particulars with the records and books of my/our factory and that they are in so far as I/we can ascertain accurate and complete.

[F. No. 5(18)/90-AEI-III]

B.N. MURTHY, Jt. Secy.

183GI/93—2

Printed by the Munager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993